न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2022 राजस्व अपील

1. देवनारायण पुत्र हरज्ञान जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम देवनारायण प्रकरण संख्या 280/2021)

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 02.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2 रकबा 0.25 है. पर अपीलान्ट ने सम्वत 2078 में रबी की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय दिनांक 28.1.2022 पारित कर दिया तथा अपीलान्ट को 30 दिवस का सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही कोई काश्त की है। पटवारी हल्का ने भी झूंठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो जवाब का मौका दिया व न ही सुनवाई व सबूत का मौका दिया। जबकि पीडित पक्ष को सजा जैसे मुकदमें में पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पत्रावली पर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत भी नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.01.2022 खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 0.25 है. भूमि पर गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। उक्त भूमि राजकीय चरागाह की भूमि है। जो पशुओं के चरने के उपयोग में आती रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 28.01.2022 को बेदखल कर पेनल्टी कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 0.25 है. भूमि पर गेहूं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा